राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक–प. 5(07) गृह–1/2017 जयपुर, दिनांक - 1 SEP 2017

–: आज्ञा :–

राजस्थान राज्य एवम् अधीनस्थ सेवाऐं (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा, 2013 के परिणाम के आधार पर एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 के नियम 25 व 30 के अनुसरण में महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नांकित सफल अभ्यर्थियों को राजस्थान पुलिस सेवा में दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में उपस्थिति देने की संगत तिथि से राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियम के अनुसार देय स्थिर पारिश्रमिक/वेतन भत्तों पर एतद् द्वारा नियुक्त करते है। यह संगत तिथि हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर में आधारभूत पाठ्यक्रम (प्रशिक्षण) के लिये रिपोर्ट करने की तिथि अथवा पूर्व में आधारभूत पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में गृह विभाग को रिपोर्ट करने की तिथि अनुसार होगी:–

क्रम संख्या	मेरिट नंबर	रोल नंबर	नाम अधिकारी	जन्म तिथि	वर्ग	विशेष विवरण
1.	24	925750	अंकित जैन	17-10-1990	GE	
2.	27	924658	संजय सिंह चम्पावत	25-06-1989	GE	(प्रोविजनल)
3.	29	916860	प्रवेन्द्र सिंह महला	08-10-1988	GE	
4.	30	905701	अमित सिंह	13-01-1989	GE	(प्रोविजनल)
5.	35	905541	दीपक गर्ग	22-09-1987	GE	(प्रोविजनल)
6.	36	925371	मुकुल शर्मा	30-03-1988	GE	(प्रोविजनल)
7.	39	902262	खींव सिंह	07-07-1985	GE	(प्रोविजनल)
8.	41	932966	अरविन्द	25-08-1991	BC	
9.	43	910210	नूर मोहम्मद	25-08-1986	BC, RG	
10.	45	920834	नेहा अग्रवाल	28-03-1991	GE, WE	
11.	48	910578	संदीप सारस्वत	02-07-1987	GE	(प्रोविजनल)
12.	49	928254	सुनिल सिहाग	19-10-1990	BC	
13.	51	930935	हिम्मत चारण	25-03-1992	BC	
14.	52	933180	चक्रवर्ती सिंह राठौड	24-01-1977	GE, RG	
15.	53	933102	सुरेश सांखला	05-07-1987	BC, RG	
16.	54	917047	धर्मेन्द्र डूकिया	20-08-1991	BC	
17.	55	901035	श्याम सुन्दर विश्नोई	01-07-1989	BC, RG	
18.	56	933722	धर्मा राम गिला	07-07-1991	BC	
19.	57	917456	मुकेश कुमार सोनी	15-10-1991	BC	(प्रोविजनल)
20.	65	910537	श्रवण कुमार झोरड़	08-07-1989	BC, RG	
21.	66	917934	जिज्ञाषा	25-03-1991	GE, WE	
22.	69	922479	आशीष कुमार	21-07-1987	BC	
23.	70	932767	रजत बिश्नोई	30-11-1987	BC	
24.	72	927160	भूपेन्द्र	08-12-1991	BC	
25.	98	900111	महावीर प्रसाद शर्मा	09-12-1981	GE, NG	
26.	104	918815	कीर्ति सिंह	14-02-1984	GE, WE	(प्रोविजनल)
27.	111	928345	नियति शर्मा	31-07-1991	GE, WE	

28.	120	917623	विजेता जाखड	26-04-1990	BC, WE	(प्रोविजनल)
29.	122	923195	प्रियंका कुमावत	03-02-1991	BC, WE	
30.	124	934668	धन्ना राम	01-01-1981	BC,RG, NG	
31.	134	930885	गिरधर सिंह	05-06-1981	GE, RG, NG	
32.	164	925075	देशराज गुर्जर	12-11-1990	SB (Supernumerary)	
33.	166	915551	अदिति चौधरी	05-01-1991	BC, WE	
34.	180	923674	सुधा पालावत	15-06-1991	BC, WE	
35.	405	927938	लोकेश मीना	04-02-1988	ST	(प्रोविजनल)
36.	417	917703	सरला मीना	06-02-1988	ST, WE	(प्रोविजनल)
37.	428	923185	राजेन्द्र मोहन	27-06-1980	ST, RG	
38.	461	910468	जितेन्द्र कुमार मीना	01-01-1990	ST	(प्रोविजनल)
39.	489	910802	नरेन्द्र कुमार	02-07-1989	SC, RG	
40.	518	911950	विनोद कुमार	07-07-1988	SC, RG	
41.	530	934364	सुरेश कुमार	29-04-1981	SC, RG	
42.	533	935766	बेनी प्रसाद मीना	10-01-1984	ST	(प्रोविजनल)
43.	559	919510	विजय कुमार सांखला	14-09-1987	SC	(प्रोविजनल)
44.	672	900807	हेमन्त कुमार	15-11-1984	SC	(प्रोविजनल)
45.	998	901815	कल्पना सोलंकी	19-10-1991	SC, WE	
46.	1043	920214	कृष्णा सामरिया	08-11-1979	SC, WE	
47.	2108	910844	राज कंवर	25-11-1975	GE,WE, WD,RG	(प्रोविजनल)

उक्त नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जा रही है:—

1. उक्त नियुक्तियां माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर एसएलपी संख्या 18272—76/2008 (सिविल अपील नंबर 2049—2053/2011) तथा याचिका सं0 140/11 एवं माननीय उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 6744/2008, 11200/2010, 1862/2013 (कैप्टन श्री गुरविन्दर सिंह बनाम स्टेट व अन्य) और मान0 उच्च न्यायालय में लम्बित सभी विभिन्न रिट याचिका/विशेष अनुमति याचिकाओं एवं समस्त वादकरण के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी। इसके साथ ही मान0 उच्च न्यायालय में दायर डी.बी. स्पेशल अपील संख्या 334/2017 द्वारा श्री भंवराराम चौधरी व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 09.05.2017 तथा एस.बी. सिविल रिट पिटीशन सं0 7815/17 द्वारा नन्दकिशोर व दीपक व्यास, 8020/17 देवेन्द्रपाल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में पारित अन्तरिम निर्णय दिनांक 12.07.2017 की अनुपालना में नियुक्तियां उक्त आदेश के अध्यधीन रहेगी। इसी प्रकार डी.बी. स्पेशल अपील रिट सं0 1488/16 झाबरमल ग्रहवाल तथा 1410/16 द्वारा लक्ष्मणसिंह बनाम आयोग के प्रकरणों में मान0 उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित संयुक्त निर्णय दिनांक 26.05.2017 के विरूद्व मान0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी. तथा एस.बी.सी.डब्ल्यू.पी. सं0 13952/16 रामूराम बनाम राज्य सहित कुल 07 रिट याचिकाओं/प्रकरणों (यथा एसबीसीडब्ल्यूपी सं0 13952/16, 13473/16, 13930/16, 13953/16, 13994/16, 14398/16 व 15120/16) में मा0 न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित संयुक्त निर्णय दिनांक 30.05.2017 के विरूद्व खण्डपीठ के समक्ष दायर की जाने वाली एस0एल0पी0 के निर्णय के अध्यधीन रहेगी मा0 उच्च न्यायालय में दायर रिट सं0 11200/10 के अध्यधीन भी उक्त नियुक्तियॉं रहेंगी।

2. विशेष पिछड़ा वर्ग (S.B.C.) की 01 रिक्ति विज्ञापित है, मान0 उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ द्वारा कैप्टन गुरूविन्दरसिंह एवं अन्य बनाम राज्य एवं अन्य (डी.बी. सिविल रिट पिटीशन सं0 1645/2016) निर्णय दिनांक 09.12.2016 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. सं0 3042–3044/2017 में दिये गये अतंरिम आदेश दिनांक 03.02.2017 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की पालना में कार्मिक (क–2) विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.05.2017 के अनुसरण में प्रभावस्वरूप सेवा आंवटन किया है। विशेष पिछडा वर्ग के चयनित अभ्यर्थी मेरिट सं0 164 देशराज गुर्जर को अस्थाई रूप से नियुक्ति दिये जाने के लिए विभाग में 01 अधिसंख्य पद (Supernumerary Post) सृजित किया जायेगा। मान0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अध्यधीन उक्त एस.बी.सी. अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई (Temporary) आधार पर रखी जावे। Supernumerary Post के लिए वित्त विभाग से सैद्धान्तिक सहमति कार्मिक (क–2) विभाग द्वारा प्राप्त कर ली गई है। नियुक्ति प्रकिया पूर्ण करने के पश्चात् अधिसंख्य पद के सृजन हेतु वित्त विभाग से औपचारिक अनुमति हेतु भी आवश्यक कार्यवाही गृह विभाग के स्तर से की जायेगी।
3. इन परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प01(2)वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.06 एवम् एफ.14(1)एफडी/नियम/2013 पार्ट दिनांक 08.6.2015 के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक मा0 उच्चतम न्यायालय में लंबित एसएलपी संख्या 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।
4. गर्भवती महिलाओं के लिये कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र सं0 प. 15 (1)कार्मिक/क–2/74 दिनांक 16.08.2005 में वर्णितानुसार नियुक्ति आदेश प्रभावी होंगे।
5. उक्त अभ्यर्थियों की जन्म तारीख वही है, जो इन्होंने परीक्षा के आवेदन पत्रों में अंकित की हैं, और जिन्हें राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात् स्वीकार किया गया है।
6. यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्तियां राजस्थान पुलिस सेवा नियम 1954 के नियम 30 के उपबंधों और अपेक्षाओं के अनुसार की गई है।
7. उक्त नियुक्तियां संबंधित सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवम् शर्तो के अध्यधीन है।
8. इन अभ्यर्थियों को परिवीक्षा काल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा की अवधि स्वविवेकानुसार बढ़ाई जा सकती है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो बार से अधिक अनुत्तीर्ण होने पर इन्हें सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।
9. यदि राज्य सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष राजस्थान पुलिस सेवा अधिकारी होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।
10. सेवा में नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों में से कोई भी अभ्यर्थी यदि प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान या प्रशिक्षण की समाप्ति के दो वर्षो के भीतर त्याग–पत्र दे देता है, या कोई अन्यत्र नियुक्ति ग्रहण कर लेता है, तो प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान उसे संदत्त की गई परिलब्धियों की दो गुना राशि तथा सरकार द्वारा उसके प्रशिक्षण पर व्यय की गई राशि की दो गुना राशि सरकार को प्रति संदत्त करने की अपेक्षा की जायेगी, तथापि यात्रा और दैनिक भत्तों के रूप में संदत्त रकम वसूली योग्य नहीं होगी। अभ्यर्थी सेवा ग्रहण करने से पूर्व विहित प्रारूप में इस आशय का एक बंधक पत्र निष्पादित करेंगे।
11. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग–I अध्याय में आने वाले मामलों को छोडकर सेवा ग्रहण करने के लिये कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।
12. जिन अभ्यर्थियों ने आधारभूत पाठ्यक्रम पहले से उत्तीर्ण कर लिया है, वे आधारभूत पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने की अंकतालिका रिर्पोटिंग के समय इस विभाग को आवश्यक रूप से दिनांक 11.09.2017 को प्रातः 09.30 बजे (कमरा नंबर 1110, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर) में उपस्थिति प्रस्तुत करेंगे।

13. अभ्यर्थियों को दिनांक 11.09.2017 को प्रातः 9.30 बजे तक अपने विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र (विवाहित होने की स्थिति में) की सत्यापित प्रति के साथ निश्चित रूप से हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर में उपस्थित हो जाना चाहिए। अभ्यर्थियों के लिये हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर द्वारा तय प्रशिक्षण के दौरान छात्रावास में निवास करना अनिवार्य है। छात्रावास सुविधा दिनांक 10.09.2017 अपरान्ह से उपलब्ध होगी।

14. प्रशिक्षण संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश हरीशचन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान की वेबसाईट www.hcmripa.gov.in पर उपलब्ध है।

15. बकाया चरित्र सत्यापन में विलम्ब की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को पूर्ण रूप से प्रोविजनल मानते हुए (उनके नाम के आगे प्रोविजनल अंकित किया गया है) इनकी नियुक्ति चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के अध्यधीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध प्रतिकूल चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होती है, तो उसकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। इस संबंध में अभ्यर्थी का नियुक्ति हेतु दावा मान्य नही होगा।

16. नियुक्ति से पूर्व आपराधिक प्रकरणों के संबंध में अभ्यर्थी को Self declaration अथवा शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्व प्रतिकूल रिपोर्ट पाई जाती है, तो ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त समझी जायेगी, साथ ही नियमानुसार आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी ऐसे अभ्यर्थी के विरूद्व अमल में लाई जायेगी।

17. नियुक्त अभ्यर्थी जो विवाहित हैं, उन्हें अपना विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं जीवित संतान/संतानों की सूचना उपस्थिति के समय प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा उपस्थिति की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी। श्री खींव सिंह द्वारा अभी तक दस्तावेजो का सत्यापन, विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र, संतान संबंधी सूचना एवं आपराधिक प्रकरणों के संबंध में Self declaration प्रपत्र तथा शपथ–पत्र प्रस्तुत करना बकाया है। अतः आधारभूत प्रशिक्षण में उपस्थिति देने से पूर्व इस विभाग में उक्त कार्यवाही सम्पादित करेंगे।

18. उक्त अभ्यर्थियों में से कोई भी अभ्यर्थी निश्चित तिथि के 7 दिवस पश्चात् तक भी रिपोर्ट नहीं करते है और न ही किसी प्रकार की सूचना विभाग को भिजवाते है तो उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से

शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय गृहमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय राज0 जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं पदेन महानिदेशक, हरीशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोकप्रशासन संस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपस्थिति प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों से उक्त आज्ञा के बिन्दु सं. 10 में उल्लेखित बन्धक–पत्र बिन्दु सं. 16 में अंकित आपराधिक प्रकरणों के संबंध में Self declaration अथवा शपथ–पत्र तथा बिन्दु सं. 17 के अनुसार जो अभ्यर्थी विवाहित हो उनके विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं जिवित संतान/संतानो की सूचना की सत्यापित प्रति प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशिक्षण हेतु इनकी उपस्थिति सुनिश्चित कर इस विभाग को तत्काल अवगत करवाये।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, गृह/कार्मिक विभाग।
7. महानिदेशक पुलिस राजस्थान, जयपुर।
8. निदेशक, राज्य बीमा एवम् प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

10. निदेशक सूचना एवम् जन संपर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि का व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।
11. संबंधित अधिकारी (क्रम संख्या 1 से 47 तक)।
12. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप–6) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
13. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली

वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि–निम्नांकित को भी सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।

वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस